न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल

प्र0क्र0............../14

(1) **बलवान सिंह** आ0श्री मनीराम
(2) **मलखम सिंह** आ0श्री मनीराम
(3) **हमीर सिंह** आ0श्री मनीराम
सभी निवासीगण व कृषक–ग्राम कढ़ैया,
तह0 व जिला रायसेन (म0प्र0)––– **निगरानीकर्तागण**

विरुद्ध

ठाकुरदास आ0श्री मूलचंद
सभी निवासीगण व कृषक–ग्राम कढ़ैया,
तह0 व जिला रायसेन (म0प्र0)–––**प्रतिनिगरानीकर्ता**

श्री जगदीश प्र. जैन अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 10-7-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 10-7-14

म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अंतर्गत निगरानी

महोदय,

निगरानीकर्तागण द्वारा विद्वान आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क्र0–76/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 10.06.2014 से असंतुष्ट एवं दु:खित होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2150–पीबीआर/14 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
14–8–2014	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 10–6–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा न्याय दृष्टांत 2013 राजस्व निर्णय 277 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में निकाला गया यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर आदेश पारित किया गया है । आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमाकंन को आक्षेपित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही में सीमाकंन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । यदि आवेदकगण सीमाकंन आदेश से व्यथित थे तो उन्हें पृथक से वरिष्ठ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करना चाहिये थी । इसी आशय का निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी एव तहसील न्यायालय द्वारा का निकाला गया है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष मे प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	